मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 9208 /MGNREGS-MP/2012 भोपाल, दिनांक 27/12/12

प्रति,

- **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
  महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना,
  जिला – समस्त

विषय :– नवीन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।

संदर्भ :– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र No. K-11011/2/2008-NREGA (Mon)/TS-[FTS-1742] नई दिल्ली दिनांक 03.09.12

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र No. K-11011/2/2008-NREGA (Mon)/TS-[FTS-1742] नई दिल्ली दिनांक 03.09.12 में कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए लेख किया है कि मनरेगा के कार्यों का पूर्णता के प्रतिशत में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो रही है।

मध्यप्रदेश मे योजनांतर्गत पूर्ण कार्यों का प्रतिशत मात्र 48% है। आपके जिले के द्वारा की जा रही एम.आई.एस. प्रविष्टि को ही भारत सरकार द्वारा मनरेगा फण्ड की आगामी किश्त जारी करने हेतु मुख्य आधार माना गया है। जिले में पूर्व से प्रचलित कार्यों को पूर्ण कराने में जिला प्रशासन द्वारा गंभीर पहल किया जाना आवश्यक है। कई जिलों द्वारा लगातार नए कार्य प्रारंभ करने की प्रवृत्ति से जिले में स्वीकृत कार्यों की संख्या तो बढ़ रही है परंतु पूर्व से प्रचलित कार्यों को पूर्ण न करने पर उनका उपयोग ग्रामीण जनता द्वारा नहीं हो रहा है। इसके फलस्वरूप ग्रामीणजन भी सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं।

भारत सरकार के उक्त पत्र के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं–

1. जिले में प्रचलित कार्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त करें। प्रथम श्रेणी में वे कार्य शामिल होंगे जो 80% से अधिक पूर्ण हो गए हैं तथा जिन्हें आगामी दो माह में पूर्ण किया जा सकता है तथा उनका कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र भी जारी किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी में उन कार्यों को शामिल किया जाए जो 50% से अधिक पूर्ण हो चुके हैं तथा उन्हें त्वरित गति से पूर्ण करने की आवश्यकता है। तृतीय श्रेणी में उन कार्यो को शामिल किया जाए जो प्रारंभ हो चुके हैं तथा 50% से कम पूर्ण हुए हैं। उक्त श्रेणियों में से प्रथम श्रेणी में शामिल कार्यो पर सर्वाधिक ध्यान देते हुए उन्हें पूर्ण कराएं एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र भी जारी कराएं। यह कार्य एक अभियान के तौर पर आगामी माह में करा लिया जावे।
2. रोजगार की मांग होने पर श्रमिकों को सर्वप्रथम प्रगतिरत कार्यों पर ही नियोजित किया जावे। नवीन कार्य तभी प्रारंभ किया जावे, जब ग्राम पंचायत में कोई भी प्रगतिरत कार्य नहीं है। यदि रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक है तथा प्रगतिरत कार्य पर कम संख्या में नियोजन किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी नवीन कार्य प्रारंभ करें।

P.T.O.

3. कार्यों की एमआईएस प्रवृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एमआईएस में दर्शाई गई व्यय राशि को ही भारत सरकार मान्य करती है तथा उसी आधार पर धनराशि जारी करती है। अतः कार्यों की प्रगति के साथ–साथ एमआईएस की प्रविष्टि भी समानान्तर रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की प्रति समस्त क्रियान्वयन एजेन्सी एवं कार्यक्रम अधिकारियों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र./9209/MGNREGS-MP/2012 भोपाल, दिनांक 27/9/12

प्रतिलिपि :–

संभाग आयुक्त ..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ। कृपया जिलों की समीक्षा बैठक में उक्त बिन्दु को भी शामिल किया जावे।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद